

झारखण्ड सरकार
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 04.05.2015

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 4037 / प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री डी०के० तिवारी, भा.प्र.से. (झा:86) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-101/2013 का० - 4038 / प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री संतोष कुमार शतपथी, भा.प्र.से. (झा:86) (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची, खान आयुक्त एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(चन्द्र भूषण प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-101/2013 का० - 4038 / राँची, दिनांक 04.05.2015

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्वट, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/ सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी/ कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।